संख्या-5/22मु.स./का-2/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/ सचिव,
   लोक निर्माण/ राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
3. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/ शामली।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

विषय :- मुजफ्फरनगर तथा आस-पास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27.09.2013 तथा 09.10.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा दंगे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-179/पी.ए., दिनांक 25.09.2013 तथा पत्र संख्या-185/पी.ए., दिनांक 27.09.2013 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-211/पी.ए., दिनांक 04.10.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) तथा पत्र संख्या-213/पी.ए., दिनांक 05.10.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) उपलब्ध कराया गया है। मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 04.10.2013 के साथ जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का पत्र संख्या-2493/जे.ए./सा.द./भर्ती, दिनांक 04.10.2013 तथा मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 05.10.2013 के साथ जिलाधिकारी, शामली का पत्र संख्या-358/नाजिर सदर/2013-14, दिनांक 04.10.2013 भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

3- मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 04.10.2013 में उल्लिखित है कि पत्र के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-33 पर अंकित मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-कवाल के आश्रित

www.bhartiyasharadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

को सेवायोजित किये जाने का संशोधित प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। यह भी उल्लिखित किया गया है कि सूची के क्रमांक-9 पर अंकित मृतक कय्यूम पुत्र अजीज, निवासी ग्राम-कुटबा के आश्रित पुत्र शाहरूख को सेवायोजित किये जाने का प्रस्ताव था, किन्तु उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण मृतक कय्यूम की पत्नी श्रीमती मेहरो, निवासी कुटबा को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित है।

4- मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र दिनांक 05.10.2013 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, शामली के पत्र दिनांक 04.10.2013 के साथ प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मृत व्यक्तियों के परिवार के एक-एक सदस्य को सेवायोजित करने हेतु यथावश्यक सेवा नियमावली की शर्तों को शिथिल करते हुए निम्नानुसार सेवायोजन प्रस्तावित किया गया है :-

क) मृतक श्रीमती सराजो पत्नी श्री वहीद, निवासी लांक, तहसील व जिला-शामली के आश्रित पुत्र श्री साजिद, आयु 25 वर्ष, कक्षा-8 उत्तीर्ण को नजारत कलेक्ट्रेट, शामली में चपरासी/ संदेशवाहक के पद पर उत्तर प्रदेश समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985, भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया से शिथिलता प्रदान करते हुए।

ख) मृतक श्री आस मोहम्मद पुत्र इकबाल निवासी लांक, तहसील व जिला-शामली के पिता इकबाल पुत्र नसीरूद्दीन, आयु 41 वर्ष, शैक्षिक अर्हता-हाईस्कूल को नजारत कलेक्ट्रेट, शामली में चपरासी/ संदेशवाहक के पद पर उत्तर प्रदेश समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985, भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया से शिथिलता प्रदान करते हुए।

ग) मृतक दलाल उर्फ दल्ला पुत्र इस्माईल, निवासी बहावड़ी, तहसील व जिला-शामली के पौत्र गुलजार, आयु 27 वर्ष, शैक्षिक योग्यता कक्षा-5 उत्तीर्ण को नजारत कलेक्ट्रेट, शामली में चपरासी/ संदेशवाहक के पद पर उत्तर प्रदेश समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985, भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया से शिथिलता प्रदान करते हुए।

5- मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र संख्या-179/पी.ए., दिनांक 25.09.2013 के साथ संलग्न संलग्नक के क्रमांक-6 पर श्रीमती मेहरो की आयु 48 वर्ष उल्लिखित है, जबकि मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 04.10.2013 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 04.10.2013 के साथ संलग्न संलग्नक के क्रमांक-9 पर उल्लिखित श्रीमती मेहरो की आयु 43

www.bharatiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

वर्ष अंकित है। श्रीमती मेहरो को सेवायोजित करने से पूर्व मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी श्रीमती मेहरो की आयु का सम्यक् परीक्षण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त, मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र संख्या-213/पी.ए., दिनांक 05.10.2013 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, शामली के पत्र दिनांक 04.10.2013 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-03 पर अंकित श्री दलाल उर्फ दल्ला के आश्रित के रूप में श्री गुलजार पुत्र श्री अल्ला मेहर को सेवायोजित करने का प्रस्ताव किया गया है, किन्तु उक्त सूची के स्तम्भ-9 में श्री अल्ला मेहर को मृतक के आश्रित के रूप में नहीं दर्शाया गया है। अतः श्री गुलजार को सेवायोजित करने के पूर्व मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी श्री अल्ला मेहर की प्रास्थिति (जीवित/ मृत या अन्य कारण) की भी जाँच कर लेंगे।

6- उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित 04 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को, जिनके विषय में मण्डलायुक्त, सहारनपुर के पत्र संख्या-211/पी.ए., दिनांक 04.10.2013 तथा पत्र संख्या-213/पी.ए., दिनांक 05.10.2013 में सेवायोजित किये जाने की संस्तुति की गयी है, को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तर-5 में वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

क्र.सं.	मृतक का नाम	मृतक के आश्रित का नाम व पता, जिन्हें सेवायोजित किया जाना है	जनपद	पदनाम, जिस पर सेवायोजित किया जाना है
1-	श्री कय्यूम पुत्र अजीज	श्रीमती मेहरो पत्नी स्व. कय्यूम निवासी ग्राम-कुटबा (श्रीमती मेहरो को सेवायोजित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक कय्यूम के पुत्र श्री शाहरूख को शासनादेश दिनांक 27.09.2013 के क्रम में सेवायोजित न किया गया हो)।	मुजफ्फरनगर	लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर।
2-	श्रीमती सराजो पत्नी वहीद	श्री साजिद पुत्र वहीद निवासी ग्राम-लांक, तहसील-शामली	शामली	चपरासी/ संदेशवाहक (समूह 'घ') नजारत, कलेक्ट्रेट, शामली
3-	श्री आस मोहम्मद पुत्र इकबाल	श्री इकबाल पुत्र श्री नसीरूद्दीन निवासी ग्राम-लांक, तहसील-शामली	शामली	चपरासी/ संदेशवाहक (समूह 'घ') नजारत, कलेक्ट्रेट, शामली

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

4-	श्री दलाल उर्फ दल्ला पुत्र इस्माइल	श्री गुलजार पुत्र श्री अल्ला मेहर निवासी ग्राम-बहावड़ी, तहसील शामली	शामली	चपरासी/ संदेशवाहक (समूह 'घ') नजारत, कलेक्ट्रेट, शामली

संलग्नक : यथोपरि

ह./-

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रेषक,

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर

सेवा में,

प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

संख्या 211 /पी०ए० दिनांक– 4 अक्टूबर,2013

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे में मारे गये मृत व्यक्तियों के आश्रितो को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2493/जे०ए०/सा०द०/भर्ती दिनांक 04–10–2013 के साथ उपलब्ध करायी गयी सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें।

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 07–09–2013 एवं उसके बाद तथा दिनांक 27–08–2013 को हुई हत्याओं में 33 व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सापेक्ष 31 व्यक्तियों को सेवायोजित किया जा चुका है।

संलग्न सूची के कमांक–33 पर अंकित मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल के आश्रित को सेवायोजित किये जाने का संशोधित प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।

पूर्व में, सूची के क्रमांक 9 पर अंकित मृतक कयूम पुत्र अजीज निवासी ग्राम कुटबा के आश्रित पुत्र शाहरूख को सेवायोजित किये जाने का प्रस्ताव था किन्तु उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र संख्या 2493/जे०ए०/ सा०द०/भर्ती दिनांक 04–10–2013 द्वारा मृतक कयूम की पत्नी श्रीमती मेहरो निवासी कुटबा को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया है, जो संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय
(भुवनेश कुमार)
आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को उनके पत्र संख्या 2493/जे०ए०/सा०द०/भर्ती दिनांक 04–10–2013 के कम मे।

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Acc AD / PA/ PA

Bh

04/10/13

कार्यालय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर ।

संख्या 2449/जे0ए0/सा.द./भर्ती दिनांक 04-10-2013

विषयः- जनपद मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगें में मारे गये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-22मु.स./का-2/2013 कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक 27-09-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15-09-2013 को जनपद-मुजफ्फरनगर में भ्रमण के दौरान की गयी घोषणा के अनुक्रम में साम्प्रदायिक दंगें में मृत व्यक्तियों के आश्रितो को सेवायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव व चार्ट महोदय, के पत्र संख्या 179/पीए दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया था, जिस पर निर्णय लेते हुए मुजफ्फरनगर तथा आस-पास के जनपदों में दंगों मे मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस जनपद में दिनांक 07-09-2013 एवं उसके बाद तथा दिनांक 27-08-2013 को ग्राम कवाल में हुई हत्याओं में मृत 33 व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिये जाने की सूचना इस जनपद को प्राप्त हुई थी । मृत व्यक्तियों के आश्रितों में से संलग्न सूची में उल्लिखित 31 व्यक्तियों को नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है । सूची के क्रमांक 33 पर उल्लिखित मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद निवासी कवाल के आश्रित नदीम पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव परिवार की सहमति के आधार पर पत्र संख्या 2386/जे0ए0 दिनांक 24-09-2013 के साथ प्रेषित किया गया था । जॉचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 27-08-2013 को ग्राम कवाल में हुई घटना में नदीम के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत है । पुनश्चः इस कार्यालय के पत्र संख्या 3292/जे0ए0दिनांक 25-09-2013 व पत्र सं0 2406/जे0ए0 दिनांक 27-09-2013 द्वारा मृतक शाहनवाज के स्थान पर उसके दूसरे भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद निवासी कवाल को नौकरी में सेवायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है । उक्त के अतिरिक्त क्रमाक 09 पर उल्लिखित मृतक कय्यूम पुत्र अजीज निवासी ग्राम कुटबा जाति शेख के पुत्र शाहरूख के पक्ष में उसके पारिवारिक सदस्यों की सहमति तथा उसकी शैक्षिक योग्यता व जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों का संज्ञान लेते हुए उसका नाम नौकरी के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अपनी उम्र 18 वर्ष से अधिक होने के सम्बन्ध में उसके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसके कारण उसको नजारत कलक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर में चपरासी/संदेशवाहक के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव पत्र संख्या 2386/जे0ए0 दिनांक 24-09-2013 के साथ प्रेषित किया गया था । श्री शाहरूख की आयु कम प्रतीत होने पर तहसीलदार सदर से पुनः जॉच करायी गयी । उप जिलाधिकारी सदर/ तहसीलदार सदर ने अपनी संयुक्त आख्या दिनांक 4-10-2013 के अर्न्तगत अवगत कराया है कि गहन जॉच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि शाहरूख पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम कुटबा ग्राम कुटबी में स्थित विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

है, जहाँ अंकित उसकी जन्मतिथि दिनांक 01.03.1999 के अनुसार उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। इस सम्बन्ध में शाहरूख के सगे दादा श्री अजीज पुत्र कबूल निवासी ग्राम कुटबा तथा उसके सगे मामा श्री मेहरदीन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी कांधला के बयान भी अंकित किये गये है, जिसमें उन्होंने उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष 5 माह बतायी है। 18 वर्ष से कम आयु का होने के कारण पारिवारिक सदस्यों की सहमति शाहरूख के स्थान पर उसकी माता श्रीमती मेहरो पत्नी स्व0 कय्यूम को सरकारी नौकरी दिये जाने के पक्ष में बनी है। परिवार की आर्थिक स्थिति व आवश्यकता को देखते हुए परिवार को तत्काल नौकरी के सहारे की आवश्यकता है।

श्रीमती मेहरो पत्नी स्व0 कय्यूम द्वारा राजकीय सेवा में लिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप पर इस सम्बन्ध मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती मेहरो की दो बालिग सन्तानों, महताब पुत्र स्व0 कय्यूम तथा श्रीमती हिना पुत्री स्व0 कय्यूम द्वारा श्रीमती मेहरो को राजकीय सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। मृतक कय्यूम के पिता अजीज पुत्र कबूल तथा मृतक के साले मेहरदीन पुत्र अब्दुल वहीद ने भी अपने बयानों में आयु कम होने के आधार पर शाहरूख का प्रार्थना पत्र निरस्त कर मृतक की पत्नि श्रीमती मेहरो को नौकरी दिये जाने की मांग की है। परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रतियाँ संलग्न है। श्रीमती मेहरो की उम्र परिवार रजिस्टर के आधार पर 43 वर्ष है। श्रीमती मेहरो द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एव शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये गये है जिससे स्पष्ट है कि वह साक्षर है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत साम्प्रदायिक हिंसा में मृतक स्व0 कय्यूम पुत्र अजीज निवासी ग्राम कुटबा के आश्रित पुत्र शाहरूख को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 24.09.2013 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर मृतक की पत्नी श्रीमती मेहरो पत्नी स्व0 कय्यूम को आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए उसकी पात्रता के अनुसार सेवा योजित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अनुरोध है कि क्रमांक 09 पर उल्लिखित मृतक कयूयूम पुत्र हाजी अजीज निवासी कुटबा के मृतक आश्रित के रूप में श्रीमती मेहरो पत्नी स्व0 कयूयूम निवासी कुटबा के साक्षर होने के कारण प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रस्ताव संशोधित कर दिया गया है । तद्नुसार शासन को प्रेषित किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।

www.bhartiyashahadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

मुजफ्फरनगर में दिनांक 07-09-2013 एवं उसके बाद हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान मृतक व्यक्तियों के आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुक्रम में सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना/प्रस्ताव।

क्र0 सं0	मृतक का नाम व पिता का नाम एवं पता	आश्रित का नाम जिसके नाम पर नौकरी हेतु सहमति बनी।	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी की जाति	पद जिस पर नियुक्ति प्रस्तावित है	अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता	नौकरी हेतु प्रस्तावित विभाग का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	शैक्षिक अर्हता	पद हेतु अर्ह आयु	विचलन की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	विपिन पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम फ़ोरो	श्रीमती सुनीता (पत्नी)	40 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	लिपिक	इन्टर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर	सयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मण्डल सहारनपुर	5200-20200	2000	इन्टर पास एवं हिन्दी टाईप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति	18 से 40 वर्ष	हिन्दी टाईप की योग्यता प्राप्त करने हेतु छ माह का समय दिया जाना समीचीन है। योग्यता का यह नियम शिथिल किया जायें।	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
2	ब्रजपाल सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी बसेड़ा	प्राजल (पुत्र)	19 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	ग्राम पंचायत अधिकारी समूह "ग"	इन्टर	पंचायत राज विभाग	जिला पंचायत राज अधिकारी मुफ्फरनगर	5200-20200	1900	इन्टर पास	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
3	सोहनवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह ग्राम भोकरहेडी	योगेश कुमार (पुत्र)	44 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	ग्राम पंचायत अधिकारी समूह "ग"	इन्टर	पचायत राज विभाग	जिला पंचायत राज अधिकारी मुफ्फरनगर	5200-20200	1900	इन्टर पास	18 से 40 वर्ष	आयु मे छूट दी जानी है।	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
4	विकास उर्फ कल्लू पुत्र जवाहर	अवनीश पुत्र जवाहर (भाई)	30 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	ग्राम पंचायत अधिकारी समूह "ग"	एम0ए0	पचायत राज विभाग	जिला पचायत राज अधिकारी मुफ्फरनगर	5200-20200	1900	इन्टर पास	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
5	महेन्द्र पुत्र मथन ग्राम काकडा	पुष्पेन्द्र(पुत्र)	38 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	ग्राम पंचायत अधिकारी समूह "ग"	इन्टर	पंचायत राज विभाग	जिला पचायत राज अधिकारी	5200-20200	1900	इन्टर पास	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

								मुजफ्फरनगर						
6	वहीद उर्फ बरफूदीन निवासी कुटबा	जाहिद (पुत्र)	22 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	चपरासी / संदेश वाहक	पांचवी	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
7	तराबू पुत्र समेरा ग्राम कुटबा	उम्मेद (पुत्र)	21 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	चपरासी / संदेशवाहक	पांचवी	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
8	शमशाद पुत्र हबीब ग्राम कुटबा	मनव्वर (पुत्र)	26 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	चपरासी / संदेशवाहक	पांचवी	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
9	कयूम पुत्र हाजी अजीज ग्राम कुटबा	मेहरो (पत्नी)	43 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	आयु में छूट दी जानी है।	संशोधित प्रस्ताव प्रेषित है।
10	श्रीमती खातून पत्नी कदमदीन ग्राम कुटबा	मो0हुसैन (पुत्र)	25 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	चपरासी / संदेशवाहक	आठवी	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
11	मोबिन पुत्र यामीन ग्राम कुटबा	फुरकान पुत्र यामीन (भाई)	19 वर्ष	रंगरेज (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी / संदेशवाहक	पांचवी पास	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
12	राजेश वर्मा पुत्र मोहन लाल 141 दाल मण्डी कायस्तवाडा मुजफ्फरनगर	साराश वर्मा (पुत्र)	20 वर्ष	सौनार (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी / संदेशवाहक	दसवी फेल	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

13	दामोदर पुत्र रामगोपाल शर्मा 196/12 गली नं0–12 दक्षिणी कृष्णापुरी मु0नगर	ऊर्जुन कुमार (पुत्र)	21 वर्ष	ब्रह्मभट्ट (सामान्य वर्ग)	चपरासी/संदेशवाहक	आठवीं	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
14	रिशीपाल पुत्र बलवन्त निवासी ग्राम कासमपुर	कैलाश चन्द (पुत्र)	24 वर्ष	चमार (अनु0जाति)	चपरासी/संदेशवाहक	आठवीं	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
15	अजय कुमार पुत्र कर्ण सिंह निवासी ग्राम रहमतपुर	सरजीत पुत्र कर्ण सिंह (भाई)	32 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी/संदेशवाहक	आठवीं	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
16	राजवीर पुत्र झुनका निवासी ग्राम काकडा	संजीव कुमार (पुत्र)	35 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी/संदेशवाहक	आठवीं	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
17	रईसूददीन पुत्र कपूरा निवासी ग्राम मौहम्मदपुर रायसिंह	समयदीन (पुत्र)	27 वर्ष	धोबी (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी/संदेशवाहक	पांचवी	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	कक्षा पांच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
18	फैयाज पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम कुटबा	साजिद (पुत्र)	25 वर्ष	शेख (सामान्य वर्ग)	चौकीदार	साक्षर	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख व पढ सकता हो साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashasandesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

19	नदीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम सिकरेड़ा	रूकसाना (पत्नी)	24 वर्ष	सक्का (अन्य पि0 वर्ग)	भिश्ती सक्का	साक्षर	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख एवं पढ सकता हो साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष		नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
20	इस्लाम पुत्र न्यादर निवासी ग्राम कुगाना	अमजद (पुत्र)	18 वर्ष	शेख ढपाली (अन्य पि0 वर्ग)	माली	साक्षर	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख एवं पढ सकता हो साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष		नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
21	शावेज उर्फ सोनू पुत्र याकूब निवासी ग्राम फूलत	याकूब (पिता)	49 वर्ष	कुरेशी (अन्य पि0 वर्ग)	माली	साक्षर	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख एवं पढ सकता	18 से 40 वर्ष	आयु में छूट	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashashanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

										हो साईकिल चलाने का ज्ञान			
22	इरशाद उर्फ फैजाज पुत्र शमशाद निवासी ग्राम कुटबा	वसीमा (पत्नी)	24 वर्ष	शेख	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
23	रेजूद्दीन पुत्र वसीम अहमद निवासी ग्राम बघरा	श्रीमती महराज (पत्नी)	38 वर्ष	तेली (अन्य पि० वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
24	नजर मौहम्मद पुत्र मूसा निवासी खेडी फिरोजाबाद	श्रीमती महराज(पत्नी)	38 वर्ष	झोझा (अन्य पि० वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
25	लताफत पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम खेडी फिरोजाबाद	श्रीमती हसीना (पत्नी)	38 वर्ष	झोझा (अन्य पि० वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
26	मौ० सुलेमान उर्फ सद्दाम पुत्र मौ० उमर निवासी ग्राम तेवड़ा	श्रीमती खातून (माता)	42 वर्ष	झोझा (अन्य पि० वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	आयु में छूट	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

27	आस मोहम्मद पुत्र यासीन निवासी ग्राम फुगाना	श्रीमती इमराना (पत्नी)	25 वर्ष	लुहार (अन्य पि0 वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
28	सगीर पुत्र शरफू निवासी ग्राम खरड	मेहरबान उर्फ मुन्ना (पुत्र)	50 वर्ष	मनिहार (अन्य पि0 वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	आयु में छूट	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
29	श्रीमती अफसाना पत्नी रईस निवासी ग्राम पलडा	रईस (पति)	40 वर्ष	सक्का (अन्य पि0 वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
30	नरेश शर्मा पुत्र चन्द्रभान शर्मा निवासी ग्राम रसूलपुर जाटान	श्रीमती गुडडी (पत्नी)	38 वर्ष	ब्राहमण (सामान्य वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200–20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	–	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।

www.bhartiyashashanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ग्राम कवाल में दिनांक 27-08-2013 को हुई हत्याओं के सम्बन्ध में मृतक व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों का विवरण

31	गौरव पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम मलिक पुरा मजरा कवाल	कु0 शैली पुत्री रविन्द्र सिंह (बहन)	22 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	लिपिक	इन्टर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर	संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर मण्डल सहारनपुर	5200-20200	2000	इन्टर पास एवं हिन्दी टाईप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति	18 से 40 वर्ष	हिन्दी टाईप की योग्यता प्राप्त करने हेतु छः माह का समय दिया जाना समीचीन है। योग्यता का यह नियम शिथिल किया जाये।	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
32	सचिन पुत्र बिशन सिंह निवासी ग्राम मलिकपुरा मजरा कवाल	श्रीमती स्वाति (पत्नी)	23 वर्ष	जाट (अन्य पि0 वर्ग)	चपरासी/सन्देशवाहक	आठवीं	नजारत कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर	जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर	5200-20200	1800	कक्षा पाच पास व साईकिल चलाने का ज्ञान	18 से 40 वर्ष	-	नियुक्ति उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया।
33	शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल	शाहजाद पुत्र सलीम अहमद (भाई)	20 वर्ष	कुरेशी (अन्य पि0 वर्ग)	बेलदार	साक्षर	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर	5200-20200	1800	शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है शिक्षित को वरियता	18 से 40 वर्ष	-	संशोधित प्रस्ताव पत्र सं0 3292/जे0ए0 दि0 25-09-13 व पत्र सं0 2408/जे0ए0 दि0 27-09-13 द्वारा प्रेषित। जो शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(डॉ0 इन्द्रमणि त्रि[illegible])
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर

www.bhartiyashashanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर

सेवा में,

प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

संख्या 213 /पी0ए0 दिनांक-- 05 अक्टूबर,2013

विषयः- जनपद शामली में हुए साम्प्रदायिक दंगे में मारे गये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद शामली में दिनांक 07--09--2013 एवं उसके बाद हुई हत्याओं में 13 व्यक्तियों के आश्रितों के सापेक्ष 12 व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाना था जिनमें से सभी 12 व्यक्तियों को सेवायोजित किया जा चुका है। 03 व्यक्तियों की शिनाख्त बाद में होने के कारण इनके आश्रितों को सेवायोजित किया जाना है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी शामली ने अपने पत्र संख्या-358/नाजिर सदर/2013-14 दिनांक 04.10.2013 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो संलग्न है।

अतः कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मृतक व्यक्तियों के परिवार के एक-एक सदस्य को सेवायोजित करने हेतु यथावश्यक सेवा नियमावली की शर्तों को शिथिल करते हुये सेवायोजन की स्वीकृति जिलाधिकारी शामली को निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय
(भुवनेश कुमार)
आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, शामली को उनके पत्र संख्या 358/नाजिर सदर/2013-14 दिनांक 04-10-2013 के कम मे।

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

www.bhartiyashasanadesh.org
PDF web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शामली।

सेवा में,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

संख्याः 358/नाजिर सदर– /2013–14, दिनांक 5.10.2013

विषयः माo मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा दिनांक 15.9.2013 में की गयी घोषणाओं के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) पत्रांक 884/घोषणा/एoवाईo/84/2012 दिनांक 18.9.2013 द्वारा जारी पत्र के बिन्दु संख्या–4 "दंगे में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिलायी जायेगी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 191/पीoएo दिनाक 29 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद शामली के साम्प्रदायिक हिंसा में मृतक व्यक्तियों में से 03 शेष व्यक्ति क्रमशः श्रीमती सराजो पत्नी वहीद निवासी लांक, तहसील व जिला शामली, आस मौहम्मद पुत्र इकबाल निवासी लांक, तहसील व जिला शामली व दलाल उर्फ दल्ला पुत्र इस्माईल निवासी बहावडी तहसील व जिला शामली की शिनाख्त हो जाने के फलस्वरूप उनके वारिसान को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु धनराशि आहरण के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर/शामली को अधिकृत करते हुए वर्णित मृतक व्यक्तियों के वारिसान को आर्थिक सहायता यथाशीघ्र वितरित कराकर अवगत कराने एवं मृतकों के वारिसान को सेवायोजित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वर्णित प्रत्येक मृतक के वारिसान को आर्थिक सहायता अंकन 10.00–10.00 लाख रू0 का वितरण किया जा चुका है। मृतकों के वारिसान ने उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित सरकारी सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व परिवार के सदस्यों की ओर से सहमति पत्र दिये गये है। आवेदन पत्रों में तीनों आवेदक चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु अर्ह है। जनपद शामली में राजस्व विभाग, नजारत अधिष्ठान, कलक्ट्रेट शामली में 14 पद रिक्त है।

सूच्य है कि जनपद शामली में कुल 16 मृतको के सापेक्ष प्रत्येक परिवार से 01 व्यक्ति को नौकरी दिये जाने के आधार पर 16 व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाना था, जिसमें 12 व्यक्तियों को सेवायोजित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार तीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना/विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही/निर्देशार्थ प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
जिलाधिकारी,
शामली।

www.bhartiyashasanadesh.org

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

www.bhartiyashahadesh.org

मुजफ्फरनगर एवं उसके आसपास के जनपदों में हुई हिंसा के दौरान दिनांक 07–09–2013 को एवं उसके बाद मृतक व्यक्तियों के परिवार में उनके आश्रितों में किसी एक व्यक्ति को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बंध में सूचना

जनपद का नाम	क्र0 सं0	मृतक का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता	मृत्यु का दिनांक व घटना स्थल	एफ0आई0आर0 का विवरण थाना सहित	मृतक के आश्रितों का नाम	आयु	शैक्षिक योग्यता	आश्रितों में जिस एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हेतु सहमति बनी हो उसका नाम	आयु	शैक्षिक योग्यता	प्रस्तावित विभाग	प्रस्तावित पद	अन्य आश्रित जिन्होंने एक सदस्य के नाम नौकरी दिये जाने हेतु शपथ पत्र दिया हो	नियमन/सरकारी नौकरी हेतु दिये जाने वाली शिथिलता का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
शामली	1	श्रीमती सराजो	श्री वहीद	62	ग्राम लाक परगना व तहसील शामली थाना फुगाना	08.09.2013 ग्राम लांक	152/13 फुगाना	1–वहीद (पति) 2–रूकमदीन (पुत्र) 3–गय्यूर (पुत्र) 4–नौशाद (पुत्र) 5–साजिद (पुत्र) 6–आबिद (पुत्र) निवासीगण लाक	62 40 38 30 25 21	अशिक्षित अशिक्षित छटी छटी आठवी अशिक्षित	साजिद पुत्र वहीद	25	आठवी	नजारत कलेक्ट्रेट शामली	चपरासी/संदेश वाहक	1–वहीद (पति) 2–रूकमदीन (पुत्र) 3–गय्यूर (पुत्र) 4–नौशाद (पुत्र) 5–आबिद (पुत्र)	उ0प्र0समूह घ कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 भाग–5 भर्ती प्रकियाँ से शिथिलता वांछनीय है।
शामली	2	श्री आस मोहम्मद	श्री इकबाल	18	ग्राम लाक फुगाना व तहसील शामली थाना फुगाना	08.09.2013 ग्राम लांक	152/13 फुगाना	1–इकबाल (पिता) 2–सलमा (माता) निवासीगण लाक	41 39	हाई स्कूल अशिक्षित	इकबाल पुत्र नसीरूद्दीन (मु0 धोबी अ0पिछडा वर्ग)	41	हाई स्कूल	नजारत कलेक्ट्रेट शामली	चपरासी/संदेश वाहक	1–सलमा (माता)	उ0प्र0समूह घ कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 भाग–5 भर्ती प्रकियाँ से शिथिलता वांछनीय है।
शामली	3	श्री दलाल उर्फ दलवा	श्री इस्माईल	86	ग्राम बहावडी परगना व तहसील शामली थाना फुगाना	08.09.2013 ग्राम बहावडी	144/13 फुगाना	1–श्रीमती वकीला (पुत्रवधू) 2–गुलजार (पौत्र) 3–गुलफाम (पौत्र) 4–गुलसनव्वर (पौत्र) 5–शाहरूख (पौत्र) 6–फारूख (पौत्र) निवासीगण लाक	45 27 25 19 15 13	अशिक्षित पाचवी पाचवी इण्टर नौवी सातवी	गुलजार पुत्र अल्लामेहर	27	पाचवी	नजारत कलेक्ट्रेट शामली	चपरासी/संदेश वाहक	1–श्रीमती वकीला (पुत्रवधू) 2–गुलफाम (पौत्र) 3–गुलसनव्वर (पौत्र) 4–शाहरूख (पौत्र) 5–फारूख (पौत्र)	उ0प्र0समूह घ कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 भाग–5 भर्ती प्रकियाँ से शिथिलता वांछनीय है।

(मदन लाल चौहान)
तहसीलदार
शामली

(सुजान गुप्ता)
जिलाधिकारी

रामनिवास शर्मा
उप जिलाधिकारी शामली

04-10-13
(प्रताप सिंह भदौरिया)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor